

(1) आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी 2022 है अर्थात् अभ्यर्थियों को आयु गणना की निश्चायक तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जनवरी 2001 के पश्चात् व 01 जनवरी 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) उच्चतम आयु सीमा में छूट:- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश सं० 1399 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य है (अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 01 जनवरी 1975 के पूर्व का नहीं होना चाहिये।)

कनिष्ठ सहायक
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
चिन्ग्यालीसौड़, उत्तरकाशी

कनिष्ठ सहायक
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
चिन्ग्यालीसौड़, उत्तरकाशी

P.G.T
भौतिक विज्ञान

प्राचार्य
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
चिन्ग्यालीसौड़, उत्तरकाशी